इस प्रकार की थीं और कितनी उनमें से गायब हुई हैं ? सरकार जब यह कहती है कि 7-8 मूर्तियां गायब हुई हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि सैकड़ों की संख्या में दिन प्रतिदिन मूर्तियां गायब होती हैं । मैं चाहता हूं कि इन चीजों का भी सरकार को पता होना चाहिए । इसलिए सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराया है और अगर नहीं कराया है तो क्या आप इसको करायेंगे ? यह मेरा प्रश्न (क) है और प्रश्न (ख) में यह पूछना चाहता हूं ...

MR. CHAIRMAN: Time up. Two minutes are over. I will give you 30 seconds more.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मूर्तियां दो तरह से चोरी जाती हैं । एक तो मंदिरों और गांवों से मूर्तियों चोरी हो जाती हैं और दूसरे म्यूजिअम्स से भी मूर्तियां गायब हो जाती हैं । पटना के म्यूजिअम से अच्छी-अच्छी मूर्तियां गायब हो गई । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि म्यूजिअम से जो मूर्तियां गायब हो जाती हैं और आज वर्तमान में जो मूर्तियां हैं या जो मूर्तियां ध्वस्त हो जाती हैं या की जाती हैं, जैसे अभी जम्मू-काश्मीर में श्रीनगर में हुआ है, उनकी सुरक्षा के लिए आप कौन-सी व्यवस्था करने जा रहे है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, माननीय सदस्य महोदय ने जो सवाल पूछे हैं उनसे दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं । पहली बात तो सही है कि हमारे देश में एक बहुत अच्छी संख्या में अच्छी-अच्छी मूर्तियां हैं । ये मूर्तियां गांवों में भी है और शहरों में भी हैं जिनका आदर हम लोग ही नहीं करते हैं बल्कि देश-विदेश में और सारे विश्व में उनका आदर किया जाता है । इसमें कुछ चोरियां भी हुई हैं जिनको हमने स्वीकारा है । अगर इस संबंध में माननीय सदस्य के पास कोई आंकडे हों तो हम चाहेंगे उनकी जानकारी वे हमें दें । हम लोग अवश्य चाहेंगे कि हमारी जो निधि है वह बाहर न जाने पाये । इसलिये हम पूरे प्रयास भी कर रहे हैं । हम लोग यह भी चाहेंगे कि इस बीच में सामंजस्य की भी जरूरत है । इसमें सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन को साथ में लिया जाता है । स्टेट पुलिस को भी साथ में लिया जाता है । आर्कियोलोजिकल विभाग को भी इसमें लिया जाता है । कस्टम्स और चैक पोस्ट्स पर और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर और हमारे जो सी पोर्ट्स हैं वहां पर आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट के अफसर रहते हैं जो इस बात को देखते हैं कि इस प्रकार की चीजें बाहर न जाने पायें और ऐसा काम न होने पाये । इस प्रकार के सब प्रयास किये जा रहे हैं । मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अगर इस प्रकार की कोई सूचना आती है या शिकायत आती है तो उस पर कार्यवाही होती है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या आपने इन चोरियों और मूर्तियों का कोई सर्वे कराया है ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमन्, ...(**व्यवधान**)

Corruption and mismanagement in the National Institute of Homoeopathy

*144. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report which appeared in The 'Hindustan Times' of 23rd January, 1986 regarding rampant corruption and mismanagement of funds in the National Institute of Homoeopathy;

(b) whether Government have made any enquiry into the working of the Institute, if so, with what results; and

(c) what action Government have taken or propose to take in the matter?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Satya Prakash Malaviya.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) Government is aware of a press report appearing in the 'Hindustan Times' of 23rd January, 1986 alleging corruption and mis-management in the National Institute of Homoeopathy.

(b) and (c) The allegations levelled are being looked into.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के संबंध में भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जो अनियमितताएं हैं, वे बहुत ही गम्भीर हैं। मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो फर्म को पेमेन्ट की गई, भुगतान किया गया वह क्रोस चैक से किया अथवा नहीं? केवल अगस्त, 1985 में 1 लाख 92 हजार का भुगतान किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बियरर चैक से किन-किन फर्म्स को पैमेन्ट की गई है?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति, जी, 23 जनवरी को, यह रिपोर्ट अखबारों में आई तो उस रिपोर्ट के आधार पर चीफ कंट्रोलर आफ एकाउन्टस ने एक आडिट पार्टी बनाई। यह पार्टी 10 फरवरी से 14 फरवरी तक वहां पर बैठी और उसकी रिपोर्ट भी आई। माननीय सदस्य ने पैमेन्ट का सवाल पूछा है। नियम तो यही है कि क्रोस चैक से पैमेन्ट होती है, 10 हजार से ज्यादा की पैमेन्ट क्रोस चैक से होती है। यह भी शिकायतें आई कि जो ये फर्म्स हैं ये फिक्टिशियस हैं, उनको पैमेन्ट कर दिया गया है। इन चीजों की देखभाल के लिए आडिट पार्टी गई। उसकी रिपोर्ट भी आई है। मैं आपको यह इत्तिला भी देना चाहती हूं कि हम यह मामला सी०बी०आई० को हैन्ड ओवर करना चाहते हैं ताकि जो मुजरिम हैं, जो कसूरवार हैं उनको बख्शा नहीं जा सके।

मे **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : मान्यवर, रे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न किसी जांच से संबंधित नहीं है। जांच की बात मैंने नहीं कही है। मेरा प्रश्न रिकार्ड से संबंधित है। अगस्त, 1985 में 1 लाख 92 हजार की पैमेन्ट कर दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन फर्म्स को यह पैमेन्ट की गई? सी०बी०आई० की बात या आडिट कमेटी की बात मैंने नहीं पूछी है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मान्यवर, जो फर्म्स को दिया गया है, जो माननीय सदस्य बात कह रहे हैं, यह सही है कि एक लाख 92 हजार रुपये मुख्तलिफ फर्म्स को पेमेंट किया गया है, यह तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बात बताई थी। जब तक उसका आडिट नहीं होगा तब तक पूरा मामला सामने नहीं आएगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : इसमें कुछ फर्जी भी हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं अभी आपको बता रही हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : फर्म्स का नाम बता दीजिए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं कह रही हूं कि जो हमारे नोलेज में बात आई है उस में बहुत से नाम जो हैं वे फर्जी हैं। फर्म्स के नाम हैं–मेसर्ज ग्लोब ट्रेडर्स अम्सेम्बली, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता, बोस स्टेशनर्ज, ओल्ड चाइना बाजार स्ट्रीट और तीसरी है मेसर्ज सामग्री मार्कीट लेन, कलकत्ता, चौथी फर्म है इण्डियन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता और भारत कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर, राजकटरा बाजार, कलकत्ता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस इंस्टीटयूट के डायरेक्टर मिस्टर चक्रवर्ती ने 22 जुलाई, 1985 को मेसर्ज आक्सफोर्ड बुक्स एण्ड स्टेशनर्ज को एक लेटर लिखा कि आप अपने सील्ड टेंडर्ज हमें भेजो और सील्ड टेंडर्ज अपने पर्चे के साथ बोगस फर्म के नाम उसमें लगे हुए थे। जब 22 जनवरी को आक्सफोर्ड बुक्स से पूछा गया कि क्या

आपने इस प्रकार के टेंडर भेजे है उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया और न हमने कोई टेंडर भेजे हैं। मान्यवर, क्या यह भी सही है कि आपका यह इंस्टीटयूट बीयरर चेक से पेमेंट करता है और इन्होंने ऐसे पेड छपवा रखे हैं फर्जी फर्म्स के नाम से जिनके नाम कोटेशन खुद ही मांगते हैं और कोटेशन खुद ही दे देते हैं। जब टेंडर आते हैं तो जरूरत होते हुए भी दवाइयां मंगाते नहीं है और अगर मंगाते हैं तो बहुत ज्यादा मंगाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह भी है कि इस इंस्टीटयूट का 30 लाख का बजट है और वह 30 लाख सब खर्च हो चुके हैं और उन्होंने 18 लाख रुपये और मांगे हैं। क्या यह सारा गोलमाल उनकी नज़र में है और अभी मन्त्री जी ने बताया कि वह रिपोर्ट जो आडीटर जनरल से आती है या किसी अकाऊंटेंट से रिपोर्ट ली जाती है क्या वह रिपोर्ट मंगवाई थी, यदि रिपोर्ट मंगवाई थी तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभापति जी, जैसे मैंने कहा कि यह बजट की बात है और 1984–85 में प्लांड बजट था 112.54 लाख का और नान प्लांड था 10.74 लाख का इस प्रकार से टोटल 123.28 लाख हो जाता है और 1985–86 में 27.4 लाख का . . (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा: उसमें 18 लाख और मांगे हैं। जितनी बातें मैंने कहीं है सब का जवाब दें।

श्रीमती मोहसिना किदवई: सभी का जवाब दे रही हूं। आपने यह बात कही यह मेरे नोलेज में है कि क्रास्ड चेक से पेमेंट होना चाहिये था। हमें तीन चेक ऐसे मिले हैं जो बीयरर चेक से पेमेंट की गई है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया से हमने पता किया अभी तक तीन का पता चल गया है आडिट पार्टी के जरिये से यह पता चला है। दूसरी बात यह है कि जितना बजट था 30 लाख का वह और मांग रहे है। यह पिछले साल का बजट है। मैंने आपको बताया है कि जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है जितनी बातें आपने बताई हैं उन्हीं की इन्क्वायरी करने के लिए उसके मुताबिक उन लोगों को सज़ा देने के लिए जो कसूरवार पाए जाएंगे यह आडिट पार्टी गई थी। इसलिए आपको बता दिया था कि यह हम सी०बी०आई० को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ यह है कि डिटेल्ड आडिट हो जाए ताकि जितनी अनियमितताएं हैं वह सामने आए। उसी के लिए जैसे ही हमने अखबारों में रिपोर्ट देखी हमने कार्यवाही शुरू कर दी। इसलिए आप इत्मीनान रखें जो भी कसूरवार होगा वह सज़ा पाएगा। यह बिलकुल सही बात है कि नियम यह है कि क्रास्ड चेक से पेमेंट होना चाहिये। जो नहीं हुआ है वैसे हमें तीन चेक अभी ऐसे मिले हैं. . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा: 16 बीयरर चेक हैं।

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Chairman, Sir, it is clear from the hon. Minister's statement that there is a prima facie case of irregularities and corruption against the administration of that particular institute and it is also clear from the hon. Minister's statement that some of the cheques were signed in a bearer form and not in crossed form. Will the hon. Minister kindly make the conclusion as to why the amounts beyond Rs. 10,000 were paid by means of bearer cheques and not by crossed cheques? What is the idea behind it? There is the rule that a cheque for a sum exceeding Rs. 10,000 has to be paid by means of a crossed cheque and it shows that such a firm receiving the cheque must be better and with good standing so that they will have a bank account. But these firms from whom they have purchased, or at least they have shown to have purchased, they are all fictitious firms. Naturally, I want to know

from the hon. Minister whether in view of the prima facie case being proved any action against the director is being contemplated at least in the shape of suspension from service so that he is removed from the place of inquiry. Otherwise the inquiry is likely to be influenced by the presence of that particular officer who is involved in it.

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, मैंने पहले ही बताया है कि इसकी सारी जानकारी हासिल की जा रही है कि कौन इसमें कसूरवार है। चेक किसने दिया, कौन चेक साइन करता है और किसने साइन किये हैं ये सारी चीजें विचाराधीन हैं। जब हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे तो उसके हिसाब से ऐक्शन लिया जायेगा। यह ...(**व्यवधान**)... घोष जी इसके नियम हैं ....

श्री दीपेन घोष : प्राइमा-फैसी केस अगर बनता है तो उसको हटा दीजिये ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : वैसा होगा तो उसको हटा देंगे।

MR. CHAIRMAN: Madam Minister, your answer is not complete. Please answer this point. Three cheques were issued, which were bearer cheques. It is contrary to law, practice and rules and regulations. What action have you taken against the person who issued the bearer cheques? That is the question.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : अभी यह आइडेन्टीफाई कर रहे हैं कि कौन कसूरवार हैं उसके बाद ही निलम्बित करेंगे । जब सामने चीज आयेगी तभी निलम्बित करेंगे । We have to find out who is responsible for that act. After that we will take strong action against him.

SHRI DIPEN GHOSH: चैक किसने साइन किया ?

MR. CHAIRMAN: I am going to ask the question. Please sit down. Do you know who signed the bearer cheques?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: That is what I am ascertaining and as soon as I will get the report, I will take action. I will take action within a week of getting the report. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Within a week of receiving the report, action will be taken. You must all be satisfied.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, इस पर आधे घंटे की चर्चा की इजाजत दे दें।

MR. CHAIRMAN: The Minister has very kindly stated that she will take action within one week. That is the answer you can get. Now, next question.

*145. [*The questioner (Shri Dhuleshwar Meena) was absent. For answer,* vide *cols.* 33-35 infra.].

Purchase of Air-bus A-320 aircraft

*146. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI SHANKER SINH VAGHELA:†

Will the Minister of TRANSPORT be pleased to refer to the reply to Starred Question 322 given in the Rajya Sabha on the 11th December, 1985 and state the number of Air bus A-320 aircraft proposed to be purchased and the financial implications thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): The Government have accorded approval to the acquisition by Indian Airlines of 19 Airbus A-320 aircraft, fitted with IAE V2500 Engines and the related engines, spares and other ground support equipment etc. at a total estimated cost of Rs. 1238.37 crores (includ-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shanker Sinh Vaghela.